भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2532
सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

रोजगार मेला

2532. श्री अनूप संजय धोत्रे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के अकोला जिले में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु वहाँ रोजगार मेला आयोजित करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्यों, प्रमुख विशेषताओं और कार्यान्वयन तंत्र सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा रोजगार मेले के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों और नियोक्ताओं के बीच प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं के बीच अधिकतम पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं;
(ङ) इस पहल के अपेक्षित परिणामों का ब्यौरा क्या है; और
(च) इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए निगरानी और मूल्यांकन ढांचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (च): रोजगार मेला, युवाओं में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। राज्य सरकारों/मंत्रालयों/विभागों आदि द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रोजगार मेलों का नियमित आयोजन किया जा रहा है।

रोजगार मेलों का मुख्य उद्देश्य रोजगार चाहने वालों और स्थानीय नियोक्ताओं के बीच संपर्क को सरल बनाना है, ताकि स्थानीय रोजगार आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस तरह के मेले स्थानीय श्रम बाजार की मांग के अनुरूप रोजगार के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

दिनांक 28.02.2026 तक, महाराष्ट्र राज्य में अकोला जिले सहित 3280 से अधिक रोजगार मेले आयोजित किए गए, जिनमें 7.99 लाख से अधिक रोजगार चाहने वालों और 15,800 से अधिक नियोक्ताओं ने भाग लिया। इसके अलावा, इन रोजगार मेलों के माध्यम से 18.83 लाख से अधिक रिक्तियां जुटाई गईं।

मंत्रालय ने सभी रोजगार चाहने वालों के लिए रोजगार अवसर बढ़ाने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी को मजबूत करने के लिए निजी और सार्वजनिक नियोक्ताओं/पोर्टलों/प्लेटफार्मों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। अब तक 35 से अधिक समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें अपना, स्विगी, रैपिडो, जोमैटो, अमेज़ॅन, टीसीएस आईओएन, क्विकर, फाउंडइट (मॉन्स्टर) आदि जैसे अन्य कई निजी भागीदारों के साथ हुए समझौता ज्ञापन शामिल हैं जो एनसीएस पोर्टल पर उपलब्ध जॉब फेयर लिस्टिंग, कौशल विकास कार्यक्रम, करियर काउंसलिंग आदि जैसी सुविधाएं प्रदान करते हैं।

मंत्रालय ने रोजगार मेलों को प्रभावी ढंग से आयोजित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा रोजगार मेलों का कारगार संचालन किया जा सके। इन दिशा-निर्देशों में रोजगार चाहने वालों को प्रभावी ढंग से जुटाना, रोजगार मेला स्थल का चयन, रोजगार मेलों के लिए ब्रांडिंग और प्रचार, रोजगार मेलों के लिए स्टॉल और काउंटर लगाना, रोजगार अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों के साथ समन्वय, रोजगार मेले के आंकड़ों का पंजीकरण और रिपोर्टिंग आदि शामिल हैं।

*****